



(७०)
72

III/A/10/2017/सिंगरौली/2020/2017/2976

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

रामबरण पुत्र हुब्बलाल कुम्हार
निवासी ग्राम करुआरी तहसील व जिला
सिंगरौली म.प्र.

—— आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला
सिंगरौली

—— अनावेदक

श्री S.P. Dhumal,
द्वारा आज दि. 26.08.17 को,

प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क्र. 5/1, रकवा 0.25 एकड़ , 6/1 रकवा 4.75 एकड़ भूमि के संबंध में आवेदक निवासी ग्राम करुआरी तहसील व जिला सिंगरौली का कब्जा नहीं करते तो कहने के आधार पर ग्राम आतेहन पर नागर तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबति आदेश प्रकल्प

प्रकरण क्रमांक म्प/निग०/सिंगरैली/भ्रा. २०१७/२३८६

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर
०८/११/१८	<p>इस प्रकरण में दिनांक २५।९।१९ को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी ईपर फ्लै. जिला सिंगरैली के प्रकरण क्रमांक ५२।४८८।।१९९८-९९ में पारित आदेश दिनांक २१.०२.१९९६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २९।५।२०१९ को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">↑ सदस्य ६८८।</p>	